<u>विज्ञापन सं. 2/2022</u>

<u>भारत की संसद</u>

(भर्ती शाखा, लोक सभा सचिवालय)

<u>क्षेत्रीय भाषा (ओं) के कंसल्टेंट भाषांतरकारों का पैनल बनाया जाना</u>

लोक सभा सचिवालय में **<u>क्षेत्रीय भाषाओं के कंसल्टेंट भाषांतरकारों को संविदा आधार पर पैनल में रखने</u>** हेतु पात्र सभी गैर-सरकारी भारतीय नागरिकों तथा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों, केंद्र/राज्य सरकार/सरकारों, राज्य विधानमंडल सचिवालयों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय/राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रमों, भारत के उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों एवं स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारी/कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

[जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है गैर-सरकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों से है जो किसी सरकारी संगठन में कार्य नहीं कर रहे हैं]

2. पैनल में रखे जाने वाले क्षेत्रीय भाषा/भाषाओं के कंसल्टेंट भाषांतरकारों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:-

21 क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे संबंधित कंसल्टेंट भाषांतरकार/भाषांतरकारों को पैनल में रखा जाना है	**पैनल में रखे जाने वाले कंसल्टेंट भाषांतरकारों की संख्या**
असमी/बंगाली/बोडो/डोगरी/गुजराती/कन्नड़/कश्मीरी/कोंकणी/ मैथिली/मलयालम/मणिपुरी/मराठी/नेपाली/उड़िया/पंजाबी/ संस्कृत/संथाली/सिंधी/तमिल/तेलुगु/उर्दू	**05 (पांच)** [प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा हेतु]

- *प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा हेतु कंसल्टेंट भाषांतरकारों के रूप में रखे जाने वाले 05 व्यक्तियों में से 03 व्यक्तियों को सत्रावधि के दौरान संविदा आधार पर कंसल्टेंट भाषांतरकार के रूप में भाषांतरण के कार्य पर लगाया जाएगा और उक्त पैनल के शेष 02 व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर कार्य करने हेतु रिजर्व में रखा जाएगा।*
- *पैनल में रखे गए पांचों व्यक्तियों की सेवाएं बारी-बारी से इस प्रकार ली जाएंगी जिससे प्रत्येक को अपेक्षित अवसर प्राप्त हो सके।*
- *बशर्ते, सत्रावधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कार्य करने हेतु पैनल से एक समय पर 03 से अधिक व्यक्तियों की सेवाएं ली जा सकती हैं।*
- *बशर्ते कि, साथ-साथ भाषांतरण सेवा में नियमित भाषांतरकारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में, पैनल में रखे गए कंसल्टेंट भाषांतरकारों की सेवाएं अंतर-सत्रावधि के दौरान भी ली जा सकती हैं। तथापि, अंतर-सत्रावधि के दौरान सामान्य तौर पर उनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी। पर्याप्त तर्कसंगत आधार होने और माननीय अध्यक्ष की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही उनकी ऐसी सेवाएं ली जाएंगी।*

सत्रावधि के दौरान कंसल्टेंट भाषांतरकारों को पूर्णकालिक आधार पर पैनल में रखा हुआ माना जाएगा और अंतर-सत्रावधि के दौरान आवश्यकतानुसार उन्हें अंशकालिक आधार पर पैनल में रखा हुआ माना जाएगा। जिस अवधि के लिए कंसल्टेंट भाषांतरकारों को पूर्णकालिक आधार पर पैनल में रखा जाएगा उन्हें उस अवधि के दौरान सचिवालय से बाहर कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। जबकि, जिस अवधि हेतु कंसल्टेंट भाषांतरकारों को अंशकालिक आधार पर पैनल में रखा जाएगा उस अवधि के दौरान वे सचिवालय को पूर्व सूचना देकर सचिवालय से बाहर कार्य कर सकते हैं। सत्रावधि 'सभा' के सत्र हेतु समन जारी होने की तिथि से लेकर संबंधित सत्रावसान की तिथि तक होगी।

3. कंसल्टेंट भाषांतरकारों को पैनल में रखने संबंधी निबंधन और शर्तें इस प्रकार हैं :-

एक. <u>शैक्षिक योग्यताएं</u>

अंग्रेजी या किसी अन्य विषय (स्नातक स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ) में स्नातकोत्तर डिग्री। इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर पर भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त संबंधित क्षेत्रीय भाषा/भाषाओं का अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो।

<u>वांछनीय</u> : (1) अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव; और (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स या एनआईईएलआईटी द्वारा यथानिर्धारित पाठ्यक्रम और कोर्स की अवधि के अनुरूप 'ओ' लेवल के समकक्ष कोर्स में सर्टिफिकेट।

दो. <u>आयु सीमा</u>

22 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के केवल भारतीय नागरिक ही कंसल्टेंट भाषांतरकार के पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार आयु की गणना की जाएगी।

तीन. <u>चयन प्रक्रिया</u>:

पात्र अभ्यर्थियों को निम्नानुसार वाक्-कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा :

क. वाक्-कौशल परीक्षा: अभ्यर्थियों के वाक्-कौशल की परीक्षा ली जाएगी जो **200 अंक** की होगी। वाक्-कौशल परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को निर्धारित अंग्रेजी के 7 विषयों और संबंधित भाषा के 7 विषयों में से किसी एक विषय पर 3 मिनट अंग्रेजी भाषा में और 3 मिनट संबंधित क्षेत्रीय भाषा में बिना तैयारी के उसी समय बोलना होगा। इस परीक्षा का उद्देश्य अभ्यर्थियों की धारा-प्रवाहिता; भाषा कौशल, शैली, उच्चारण और लहजे; विषय-सार और उनकी आवाज का आकलन करना है।

अपेक्षित मानदंडों के अनुसार केवल वाक्-कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति होगी।

ख. लिखित परीक्षा: अपेक्षित मानदंडों के अनुसार वाक्-कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे:

(एक) सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम; सामान्य अंग्रेजी; और संबंधित सामान्य क्षेत्रीय भाषा- प्रत्येक विषय पर 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न- **150 अंक** (75 मिनट); **और**

(दो) संबंधित क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद **100 अंक** और अंग्रेजी भाषा से संबंधित क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद- **100 अंक** (2 घंटे)।

अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों और उनके भागों को अपेक्षित मानकों के अनुसार उत्तीर्ण करना होगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र-दो की जांच की जाएगी जिन्होंने प्रश्नपत्र-एक के प्रत्येक भाग में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए होंगे। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

ग. साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा: संबंधित क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में भाषांतरण (5 मिनट) जिसके **100 अंक** होंगे तथा अंग्रेजी भाषा से संबंधित क्षेत्रीय भाषा में भाषांतरण (5 मिनट) जिसके **100 अंक** होंगे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन पांच विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाएगा अर्थात् विषय का कवरेज; भाषा की शुद्धता; शैली और शब्द चयन; भाषांतरण की निरंतरता; तथा आवाज, उच्चारण और लहजा।

सभी अभ्यर्थियों को वाक्-कौशल परीक्षा और साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा के प्रत्येक भाग/मानदंड में और लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-पत्र और भाग में तथा समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से, वाक्-कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा में समग्र प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने के समय परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी।

चार. कंसल्टेंट भाषांतरकार के कार्यों का ब्यौरा

कंसल्टेंट भाषांतरकारों को मुख्य रूप से 'सभा' में अंग्रेजी भाषा से संबंधित क्षेत्रीय भाषा में और संबंधित क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में, जैसी भी स्थिति हो, भाषांतरण करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें समय समय पर सौंपे जाने वाले निम्नलखित दायित्वों को भी पूरा करना होगा:-

(क) सत्रावधि और अंतर-सत्रावधि (यदि अंतर-सत्रावधि के दौरान उनकी सेवाएं ली जाती हैं) में समिति की बैठक के दौरान हिंदी से अंग्रेजी भाषा में भाषांतरण करना।

(ख) समितियों/माननीय अध्यक्ष के कार्यालय/विशेषाधिकार समिति आदि को प्राप्त होने वाले क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रों/दस्तावेजों/याचिकाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना।

(ग) माननीय अध्यक्ष और मीडिया प्रकोष्ठ के उपयोगार्थ, संसद सदस्यों को दी जाने वाली जन्मदिन की शुभकामनाओं और विशिष्टजनों के निधन-संबंधी उल्लेखों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना।

(घ) माननीय अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र-विशेष के त्यौहारों के अवसर पर किए जाने वाले ट्वीट्स का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना।

(ङ) संसद ग्रंथालय के उपयोगार्थ पुस्तक के शीर्षकों का क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी भाषा में लिप्यंतरण करना।

(च) विगत कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र के दौरान दिए गए अभिभाषणों और प्रधानमंत्री के भाषणों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना।

(छ) सम्मेलनों के दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों की सहायता हेतु और नई लोक सभा के गठन के समय नव-निर्वाचित सदस्यों की सहायता हेतु संपर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करना।

(ज) नियम '377' के अधीन पटल कार्यालय में प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं की सूचनाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना।

(झ) राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के लिए प्राइड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाषांतरण सेवाएं प्रदान करना।

(ञ) लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य।

पांच. <u>कार्यालय में उपस्थित होने का समय और कार्य के घंटे</u>

कंसल्टेंट भाषांतरकारों को लोक सभा की साथ-साथ भाषांतरण सेवा में तैनात किया जाएगा और वह उक्त सेवा के संबंधित प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। कंसल्टेंट भाषांतरकारों के कार्य के घंटे लोक सभा सचिवालय के नियमित कर्मचारियों के कार्य घंटों के समान ही होंगे । उन्हें आवश्यकतानुसार शनिवार/रविवार/अवकाश के दिन कार्यालय बुलाया जा सकता है तथा कार्यालय के निर्धारित समय से पहले भी कार्यालय बुलाया जा सकता है तथा निर्धारित समय के पश्चात भी कार्यालय में रोका जा सकता है। तथापि वे निम्नलिखित क्रम सं. छह (क), सात और आठ में निर्धारित शुल्क/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता, जैसी भी स्थिति हो, को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार का अतिरिक्त शुल्क/भुगतान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

छह. <u>शुल्क/रिटेनर शुल्क</u>

(क) कंसल्टेंट भाषांतरकारों को सत्रावधि और अंतर-सत्रावधि के दौरान लोक सभा सचिवालय में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु उतने दिन के लिए दैनिक आधार पर 'शुल्क' का भुगतान किया जाएगा

जितने दिन उन्होंने अपनी सेवाएं दी हों/कार्य किया हो। इस संबंध में भुगतान संबंधित अगले माह के पहले सप्ताह के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कंसल्टेंट भाषांतरकारों को प्रतिवर्ष 'रिटेनर शुल्क' का भुगतान भी किया जाएगा। पैनल में रखे जाने के पश्चात उत्तरोत्तर रूप से प्रति एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 'रिटेनर शुल्क' में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000/- रुपए प्रति वर्ष होगी। 'रिटेनर शुल्क' और उसमें होने वाली वृद्धि का भुगतान, पैनल में रखे जाने की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् और सचिवालय द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य का उनके द्वारा संतोषजनक तरीके से निष्पादन किए जाने की शर्त के अधीन किया जाएगा। दैनिक आधार पर देय 'शुल्क' और प्रतिवर्ष देय 'रिटेनर शुल्क' का निर्धारण लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

(ख) कंसल्टेंट भाषांतरकारों को देय शुल्क और रिटेनर शुल्क इस प्रकार हैं:-

सत्रावधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं हेतु	**अंतर-सत्रावधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं हेतु**	**कंसल्टेंट भाषांतरकारों के पैनल में रखे जाने हेतु रिटेनर शुल्क**
पैनलबद्ध कंसल्टेंट भाषांतरकारों को सत्रावधि के दौरान उतने दिनों के लिए 6000/- रुपए प्रतिदिन के आधार पर भुगतान किया जाएगा जितने दिन उन्होंने लोक सभा सचिवालय में वास्तविक रूप में अपनी सेवाएं दी हों/कार्य किया हो।	पैनलबद्ध कंसल्टेंट भाषांतरकारों को अंतर-सत्रावधि के दौरान उतने दिनों के लिए 6000/- रुपए प्रतिदिन के आधार पर भुगतान किया जाएगा जितने दिन उन्होंने लोक सभा सचिवालय में वास्तविक रूप में अपनी सेवाएं दी हों/कार्य किया हो।	25000/- रुपए प्रतिवर्ष

सात. <u>दिल्ली से बाहर रहने वाले कंसल्टेंट भाषांतरकारों को यात्रा भत्ता (टीए)/दैनिक भत्ता (डीए)</u>

दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर रहने वाले पैनल में रखे गए कंसल्टेंट भाषांतरकारों को कार्य स्थल पर पहुंचने के लिए और निर्धारित स्थानों पर जाने के लिए दिया जाने वाला यात्रा भत्ता (टीए) संसदीय भाषांतरकार के ग्रेड (पे मैट्रिक्स का स्तर 10) में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते के समान होगा।

दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर रहने वाले पैनल में रखे गए कंसल्टेंट भाषांतरकारों को उनकी संपूर्ण कार्यावधि (बीच में आने वाले शनिवार/रविवार/अवकाशों सहित) के लिए लागू दरों पर दैनिक भत्ते (डीए) का भुगातन किया जाएगा। डीए के संबंध में लागू होने वाली दर का निर्धारण लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

आठ. <u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले कंसल्टेंट भाषांतरकारों को वाहन भत्ता</u>

दिल्ली से बाहर किंतु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले पैनल में रखे गए कंसल्टेंट भाषांतरकारों को सत्रावधि और अंतर-सत्रावधि के दौरान लोक सभा सचिवालय में कार्य करने/सेवाएं देने के वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन के हिसाब से लागू दरों पर वाहन भत्ते का भुगतान किया जाएगा। वाहन भत्ते के संबंध में लागू होने वाली दर का निर्धारण लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

नौ. <u>अन्य लाभ</u>

पैनल में रखे गए/नियुक्त किए गए कंसल्टेंट भाषांतरकार/भाषांतरकारों को किसी भी प्रकार के अन्य लाभ ग्राह्य नहीं होंगे, जैसे, उन्हें हेल्थ कवर/चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, टीए/डीए (दिल्ली-एनसीआर के बाहर रहनेवाले कंसल्टेंट भाषांतरकारों को अपनी सेवाएं देने की अवधि के दौरान दिए जाने वाले टीए/डीए, जैसा कि उपरोक्त क्रम सं. सात में विनिर्दिष्ट किया गया है, को छोड़कर), वाहन भत्ता (दिल्ली के बाहर किंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले कंसल्टेंट भाषांतरकारों को अपनी सेवाएं देने की अवधि के दौरान दिए जाने वाले वाहन भत्ते, जैसा कि उपरोक्त क्रम सं. आठ में विनिर्दिष्ट किया गया है को छोड़कर), परिवहन की सुविधा/परिवहन भत्ता, टेलीफोन, आवासीय सुविधा/मकान किराया भत्ता, आदि जैसी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

दस. <u>अवकाश</u>

पैनल में रखे गए/सेवाएं देने वाले कंसल्टेंट भाषांतरकारों को किसी भी प्रकार का अवकाश ग्राह्य नहीं होगा।

ग्यारह. <u>प्रशिक्षण</u>

कंसल्टेंट भाषांतरकारों के रूप में पैनल में रखे जाने और सेवाएं देने हेतु चयनित व्यक्ति/व्यक्तियों को लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रम/कार्यक्रमों आदि में भाग लेना होगा। ऐसे प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रम(मों) आदि के लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त शुल्क/धनराशि (उपरोक्त क्रम सं. छह, सात और आठ में विनिर्दिष्ट शुल्क/टीए/डीए/वाहन भत्ते, जैसी भी स्थिति हो, के अलावा) का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बारह. <u>आचरण नियम</u>

कंसल्टेंट भाषांतरकारों को पैनल में रखे जाने/सेवाएं देने की अवधि के दौरान समय-समय पर यथासंशोधित लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियमावली, 1955 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। ऐसा न करने पर कंसल्टेंट भाषांतरकारों के रूप में उनके पैनल /नियुक्ति को बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

तेरह. <u>कंसल्टेंट भाषांतरकारों का पैनल से हटाया जाना ।</u>

निम्नलिखित स्थितियों में कंसल्टेंट भाषांतरकारों का नाम पैनल से हट जाएगा और उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी:-

(क) किसी भी पक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक माह की पूर्व सूचना दिए जाने पर। यदि पैनल में रखा गया कोई अभ्यर्थी यथाअपेक्षित एक माह की पूर्व सूचना नहीं देता है, तो उस अभ्यर्थी को देय/भुगतान की जाने वाली धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा;

(ख) किसी अभ्यर्थी का कार्य-निष्पादन और/या आचरण असंतोषजनक पाए जाने पर लोक सभा सचिवालय द्वारा बिना कोई सूचना दिए;

(ग) अभ्यर्थी द्वारा बायो-डाटा में की-गई किसी घोषणा/दी गई किसी जानकारी के असत्य पाए जाने पर अथवा यह पता लगने पर कि किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया है।

कंसल्टेंट भाषांतरकार को पैनल से हटाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को अपने अधिकार में रखी हुई कार्यालय की सभी संपत्तियों को वापस करना होगा। ऐसा न करने पर लोक सभा सचिवालय द्वारा उनके विरुद्ध समुचित दांडिक कार्रवाई की जाएगी।

चौदह. <u>वैवाहिक स्थिति</u>

कंसल्टेंट भाषांतरकार(रों) को विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अपनी वैवाहिक स्थिति के संबंध में घोषणा करनी होगी और यदि किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नी/पति है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति इस संबंध में विहित नियमों में अपेक्षित प्रावधानों से छूट दिए जाने के अध्यधीन होगी।

पंद्रह. निष्ठा की शपथ

कंसल्टेंट भाषांतरकार(रों) को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा/आस्था की शपथ लेनी होगी अथवा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करना होगा।

सोलह. अवशिष्ट शक्ति

ऐसे सभी मामलों, जिनके संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा का निर्णय अंतिम होगा।

4. आवेदन कैसे करें –

(एक) आवेदन **<u>अनुबंध</u>** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में ही भेजे जाए। अभ्यर्थी ए-4 शीट में आवेदन के सभी कालम समुचित रूप से भरें। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजें:-

भर्ती शाखा,
कमरा सं0 521,
लोक सभा सचिवालय ,
संसदीय सौध,
नई दिल्ली-110001

अपूर्ण आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(दो) **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.10.2022 है।**

(तीन) अभ्यर्थी अपना आवेदन एक लिफाफे में भेंजे, जिस पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

(चार) **जो आवेदन, अपठनीय होंगे, विहित प्रपत्र में समुचित रूप से भरे नहीं गए होंगे, विज्ञापन में विहित अनुदेशों के अनुरूप नहीं होंगे अथवा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए होंगे, उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(पांच) अभ्यर्थी अपने नवीनतम एक जैसे दो स्व-अनुप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आवेदन पत्र पर चिपकाएं।

(छह) अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सभी विवरण (सिवाय आवासीय पते के) अंतिम समझे जाएंगे और बाद में उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(सात) अभ्यर्थियों को आवेदन में उल्लिखित प्रत्येक शैक्षिक अर्हता संबंधी अपने प्रमाण पत्रों/डिग्रियों, अंक तालिकाओं, आदि की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां [वर्षवार/ सेमेस्टर-वार तथा अध्ययन किए गए विषयों के स्पष्ट विवरण सहित] प्रस्तुत करनी होंगी।

(आठ) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र को ही स्वीकार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है तो वह मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ अपने ऐसे किसी अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई हो। इसके अतिरिक्त इस आशय के एक शपथ-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करें कि संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है।

(नौ) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरा गया स्वयं का तथा उसके माता-पिता का नाम वही होना चाहिए जो मैट्रिक के प्रमाणपत्र में अंकित है। मैट्रिक के प्रमाण पत्र में अंकित नाम तथा डिग्री और/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री और/अथवा अन्य प्रमाण पत्रों के दर्ज नाम में पारस्परिक कोई विसंगति होने की स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाए जाएं:

(क) नाम में वर्तनी के कारण हुई किसी छोटी विसंगति जैसे (मोहन और मोहुन) अथवा (आर.माथुर और रमेश माथुर) होने की स्थिति में, इस आशय के शपथपत्र की एक स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

(ख) किसी नाम के हिस्से/हिस्सों में कुछ जुड़ा होने अथवा हटने जैसी बड़ी विसंगति जैसे (राम कुमार और राम कुमार सिंह) अथवा (अजय कुमार और अजय कुमार सिंह राणा) होने की स्थिति में, इस आशय की जारी राजपत्र अधिसूचना की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए कि अब से इस व्यक्ति ने अपने नाम में परिवर्तन कर लिया है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के मामले में कभी-कभी अभ्यर्थी के नाम के साथ उसके पिता और/अथवा माता का नाम भी जुड़ा होता है। ऐसे मामलों में इस आशय के शपथपत्र की एक स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जाए कि दोनों प्रमाणपत्रों में उल्लिखित नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

(दस) किसी भी तरह की 'कैनवेसिंग' किए जाने पर किसी भी स्तर पर आवेदन और उम्मीदवारी को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(ग्यारह) अभ्यर्थियों को स्पष्ट तौर पर यह नोट कर लेना चाहिए कि भर्ती शाखा किसी भी दशा में उनके आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने अथवा किसी भी कारण से प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अतः उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति में उनके आवेदन पत्र भर्ती शाखा में पहुंच जाएं। अतः, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति में उनके आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व भर्ती शाखा में पहुंच जाएं।

(बारह) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्वागत कार्यालय, संसद भवन , नई दिल्ली में इस प्रयोजनार्थ रखे गए बॉक्स में डाल सकते हैं। तथापि, इसकी कोई पावती नहीं दी जाएगी।

(तेरह) लोक सभा सचिवालय को बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताये किसी भी चरण में कंसल्टेंट भाषांतरकार को पैनल में रखने और उनकी सेवाएं लेने की प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा वांछित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार है।

(चौदह) आवेदकों को सलाह की जाती है कि वे निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से **http://www.loksabha.nic.in** वेबसाइट-**Recruitment** >**Advertisements and Notices** लिंक का अवलोकन करते रहें :-

- इस विज्ञापन को रद्द किए जाने या उसमें कोई परिशिष्ट जोड़ने या शुद्धिपत्र,जारी किए जाने संबंधी जानकारी, यदि कोई हो;
- वाक्-कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा की तिथि (तिथियां); और
- परीक्षा के परिणाम।

अनुबंध

अनुक्रमांक

(भर्ती शाखा द्वारा भरा जाना है)

भारत की संसद

(भर्ती शाखा, लोक सभा सचिवालय)

*****

आवेदन का प्रारूप

विज्ञापन सं0 2/2022

हाल ही में लिया गया स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

आवेदित पद का नाम: **कंसलटेंट भाषांतरकार** (_____)

(कृपया क्षेत्रीय भाषा दर्शाएं)

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

प्रथम नाम **मध्य नाम** **उपनाम**

(जैसा कि मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम के प्रत्येक भाग के बीच कृपया एक बॉक्स खाली छोड़ें)

2. पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :.....

3. माता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :.....

4. राष्ट्रीयता :.....

5. पत्र-व्यवहार का पता :.....

.....पिन.....

दूरभाष/मोबाइल नं. …….. ई-मेल पता .....

6. विगत 5 वर्षों के दौरान निवास स्थान का ब्यौरा जहां आवेदक ने एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है:

पता	निवास की अवधि

7. स्थायी पता: ..

.....

.....पिन.....

8. जन्म तिथि: तिथि माह वर्ष

(कृपया मैट्रिक के प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

		--			--				

9. दिनांक 31.10.2022 को आयु : वर्ष…….माह.....दिन.....

10. जन्म स्थान (गांव/नगर/शहर/जिला/राज्य).....

11.शैक्षणिक योग्यताओं का ब्यौरा (स्नातक स्तर से):-

(कृपया प्रमाण पत्रों/डिग्रियों और अंक पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

उत्तीर्ण परीक्षा	संस्थान/ विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	अध्ययन किए गए विषय	अध्ययन की अवधि	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंकों का प्रतिशत

12.(क) लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों, केंद्र/ राज्य सरकार (सरकारों), राज्य विधानमंडल सचिवालयों, स्वशासी निकायों, केंद्र/राज्य सरकार के उपक्रम (उपक्रमों), भारत के उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालयों और स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारी (कर्मचारियों) का ब्यौरा:-

संगठन का नाम	धारित पद	सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवा के दौरान किए गए कार्यों का स्वरूप

(ख) अन्य संगठनों में की गई सेवाओं का ब्यौरा, यदि कोई हो :-

संगठन का नाम	संगठन की स्थिति (सरकारी/पीएसयू/निजी, आदि)	किए गए कार्यों का स्वरूप

13. क्या आप आवेदित पद के लिए यथाअपेक्षित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं?..... हां/ नहीं

14. क्या आप आवेदित पद के लिए यथानिर्धारित वांछित अनुभव रखते हैं? ……हां/नहीं/

15. क्या आप वांछनीय योग्यता रखते हैं?.....हां/नहीं

16. **<u>घोषणा</u>:**

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं विज्ञापन में दी गई पात्रता संबंधी शर्तो को पूरा करता/करती हूं तथा इस आवेदन-पत्र में दिया गया संपूर्ण विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मैं यह समझता/समझती हूं कि यदि किसी भी चरण में कोई भी सूचना झूठी या गलत पाई गई या विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुरूप यदि मैं पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता/करती हूं तो मेरी पात्रता/मनोनयन/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

स्थान:

तिथि:

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

टिप्पणी: कॉलम संख्या 8 और 11 (जहां लागू हो) में यथा उल्लिखित आवश्यक प्रमाणपत्रों/डिग्री/अंक पत्रों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों तथा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर <u>हाल ही में लिए गये समान फोटोग्राफ</u> चिपकाए बिना प्राप्त आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

<u>भारत की संसद</u>

(भर्ती शाखा, लोक सभा सचिवालय)

<u>उपस्थिति पत्र</u>

(अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत जमा करते समय अलग पत्र में भरा जाएगा)

1. **विज्ञापन सं. 2/2022**
2. पद का नाम**: कंसलटेंट <u>भाषांतरकार:</u>**……

(कृपया क्षेत्रीय भाषा दर्शाए)

हाल ही में लिया गया स्व-अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

3. **नाम** (स्पष्ट अक्षरों में):----------
4. **पिता का नाम** *(*स्पष्ट *अक्षरों में*) **:----------**
5. **माता का नाम** *(*स्पष्ट *अक्षरों में*)**:----------**
6. **पत्र –व्यवहार का पता :----------**

----------पिन----------

7. ***(परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला ब्यौरा)***.

विषय	**परीक्षा की तिथि**	**हस्ताक्षर**

8.

अनुक्रमांक	

(*भर्ती शाखा द्वारा आबंटित किया जायेगा*)